




फर्द अहकाम

धन्नालाल

बनाम सरदार वगै०

आलय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० / 2025

क्र०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.05.2025	<p>अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह द्वारा वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 04.06.2025 को पेश हो।</p>	
	4.6.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उप० मूनिरिशानुसार पत्रावली दिनांक 6/6/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर, जयपुर                 </p>	
	6.8.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वारी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वारी को आज न्यायालय में प्रथम-प्रथम समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगायी गयी। आवृद्ध आवाज लगवाने के उपरांत भी वारी को न्यायालय में धरि नही आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत भारतीय नियम-3 प्रा० १० के तहत भद्रम हाजरी व भद्रम घंटी में खारिज की गयी। पत्रावली प्रोवस कुमार होकर नंबर ले कम होकर यथित दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर, जयपुर                 </p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जोबनेर, जयपुर                 </p>	